

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 13, बुधवार, शाके 1948- जून 03, 2026 Jyaistha 13, Wednesday, Saka 1948- June 03, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 19, 2026

संख्या प.2(1)वन/2026 :- चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि उपर्युक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार का अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/ सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जाँच व अभिलेखन जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,14,17,18, और 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि

को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशुपालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जँाय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	तहसील	जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	काबरी "बी"	कुराबड़	उदयपुर	उत्तर- ग्राम मामादेव दक्षिण- वन खण्ड काबरी पूर्व- ग्राम मामादेव आवंटित गैर वनभूमि पश्चिम- ग्राम मामादेव आवंटित गैर वनभूमि	मामा देव	1681/12 17	6.75	6.75
						किता-13		6.75 हैक्टर

हस्ताक्षर

रामनारायण डॅागी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुराबड़।

हस्ताक्षर

मुकेश सैनी,
उप वन संरक्षक,
उदयपुर।

वन खण्ड- "काबरी-बी"

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्षों की सूची

क्र.सं.	Botanical name	स्थानीय नाम
1.	<i>Acacia catechu (L.f) willd.</i>	खैर, खेडा
2.	<i>Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.</i>	रौंझ, अँरुझिया
3.	<i>Acacia senegal (Linn.) Willd.</i>	कुमठा
4.	<i>Anogeissus acuminata (Roxb.ex DC.) Guill.</i>	धौक
5.	<i>Anogeissus latifolia (Roxb.ex DC.) Wall.</i>	धावडा
6.	<i>Azadirachta indica A.Juss</i>	नीम
7.	<i>Bombax ceiba Linn.</i>	सेमल, सेमला
8.	<i>Boswellia serrata Roxb.ex Coleb.</i>	सालर
9.	<i>Dalbergia sissoo Roxb.</i>	शीशम
10.	<i>Phoenix sylvestris (L.) Roxb.</i>	खजूर
11.	<i>Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.</i>	खिरना, दूधी, खन्नी

हस्ताक्षर

रामनारायण डॅागी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुराबड़।

हस्ताक्षर

मुकेश सैनी,
उप वन संरक्षक,
उदयपुर।

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है, उसे काट दे)

वन खण्ड- “काबरी-बी”

रेंज- कुराबड़

वन मण्डल- उप वन संरक्षक, उदयपुर

प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम- “Construction of Widening, Strengthening on SH-32A from Jhameshwarji to jagat road km stone no. 67/0 to 80/0 Tehsil-Girwa, District-Udaipur (Rajasthan) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/149560/2021” (6.75 Ha.)

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि Construction of Widening, Strengthening on SH-32A from Jhameshwarji to jagat road km stone no. 67/0 to 80/0 Tehsil-Girwa, District-Udaipur (Rajasthan) की स्थापना हेतु तहसील कुराबड़ के ग्राम मामादेव के आ.सं. 1217 रकबा 40.8740 हैक्टर में से 6.75 हैक्टेयर वर्तमान आराजी 1681/1217 रकबा 6.75 हैक्टेयर भूमि किस्म मगरी बिलानाम गैर काबिल काशत है, जिसे विज्ञप्ति के कैलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. इस क्षेत्र में पौधारोपण/विकास कार्य करवाया गया है तथा कोई खनन कार्य नहीं हुए हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/विकास कार्य कराए जाना प्रस्तावित है।
4. भूमि पर वृक्षों की घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.2 प्रतिशत है। तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों झाड़ियों का लगभग 0.2 प्रतिशत क्रमशः है तथा कुछ क्षेत्रों में घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र वनखण्ड काबरी (वन) भूमि है तथा चारों ओर की सीमा का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कैलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न हैं एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमा स्थिति के अनुरूप हैं। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब तक उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

रामनारायण डॅागी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,

हस्ताक्षर

मुकेश सैनी,
उप वन संरक्षक,

कुराबड़।

उदयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।